

डिक्री एवं मुकदमे ईबतदाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 15/2025

- 1 जगसीर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 2 राजविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

- वादीगण

बनाम

- 1 अमरिक सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 2 मलकित सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 3 अमरजीत कौर पुत्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 4 जसपाल कौर पुत्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 5 दलवीर सिंह पुत्र परमजीत कौर पुत्री गुरचरण सिंह (पत्नी गुरदीप सिंह) जाति जटसिख निवासी गदराणा तहसील कालावाली जिला सिरसा (हरि0)
- 6 लखीवीर कौर पुत्री परमजीत कौर पुत्री गुरचरण सिंह (पत्नी गुरदीप सिंह) जाति जटसिख निवासी गदराणा तहसील कालावाली जिला सिरसा (हरि0)
- 7 गुरदीप कौर पुत्री परमजीत कौर पुत्री गुरचरण सिंह (पत्नी गुरदीप सिंह) जाति जटसिख निवासी गदराणा तहसील कालावाली जिला सिरसा (हरि0)
- 8 बलवन्त सिंह उर्फ बन्ता सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 9 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादी व श्री विवेक बुडानिया वकील प्रति स. 1 ता 4 व 6 तथा 7 व वकील प्रति स. 8 सुशील कुमार सुथार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 15 ए.एम.पी. खाता स. 80/15 खाता अमृतपाल कौर वगैरा ज.स. 2072-75 में गुरचरण सिंह पुत्र जरनैल सिंह के नाम दर्ज कुल 0.337 है0 आराजी मे से 0.240 है0 आराजी का वादी स. 1 जगसीर सिंह व 0.097 है0 आराजी का वादी स. 2 राजविन्द्र सिंह खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से गुरचरण सिंह पुत्र जरनैल सिंह का नाम कलमजन किया जाकर इसके नाम दर्ज आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे।

नोट:- यदि प्रशनगत भुमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.......... नल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत्.
.......... निल.......... खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......... अदा करें।
वसब्ब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.6.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया